पचवारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

लालसोट। फोन : 22090

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख को जारी हुये।
	लालचन बनाम रामदेव	
1.10.20	एतत्पश्चात् मैं उपखण्ड अधिकारी दौरे पर है अतः आदेश की पालना में दिनांक 8/3/2021 को पेश हो। रीडर	
3/3/21	उपखण्ड अधिकारी दौरे पर है अतः आदेश की पालना में दिनांक 8/3/21 रीडर	
8/3/21	उपखण्ड अधिकारी दौरे पर है अतः आदेश की पालना में दिनांक 9/3/21 रीडर	
9/3/21	पत्रावली पेश हुई। श्रवण डिक्री की गई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादीगण को बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही होकर डिक्री है। प्रतिवादीगण को खड़े का अवसर दिया गया कि उपस्थित नहीं करवाया गया है। अतः श्रवण बन्द किया जाता है वादीगण द्वारा अपनी एक तरफा अर्जि दिनांक 14 व दिनांक 14 दिनांक 20.10.148 दिनांक 18 दिनांक स्थित ग्राम पिपलोदा तहसील लालसोट में उपखण्ड अधिकारी के किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने हेतु घोषणा करवाना चाहा है। वादीगण वाद मूल अशाजी ~~के~~ दिनांक एकतरफा	

15. रामसहाय पुत्र श्रवण	समस्त जाति माली, निवासी [illegible]
16. फैली पुत्र श्रवण	तहसील लालसोट जिला–दौसा (राज0)

(प्रतिवादीगण)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम ज इस हुक्म तारीख को जारी हुये
	आवेदन । लिखित बहस है। और प्रतिवादीगण को पाबन्द कार्यवाही करने आदेश की है। अतः नकीबान का कहना था कि वादग्रस्त के लिए रूप से डिक्री किया गया घोषण होने से वादीगण के लिए रूप से डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त सामग्री के नकीबान के कब्जे के किसी प्रकार की दखल दाजी नहीं करें न करावे सदैव के लिए प्रतिबन्धित रहे। पत्रावली के अन्त हुआ होकर नस्ती कम हो। पत्रावली नस्ती हो।	